न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 30/2014 (76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (R.C.M.S . no 2014/00033)

तामील पुत्र रजाक जाति मेव निवासी ग्राम सिंहावली तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. आसमौहम्मद पुत्र श्रीमती मौजवी पुत्र वन्नी
2. वन्नी पुत्र वोदन

जाति मेव निवासी पीपलखेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

3. तहसीलदार पहाडी पहाडी जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.12.2013 अति0 कलक्टर डीग अपील सं0 37/12 आसमौहम्मद बनाम तामील व सिलसिले नामा0 सं0 2808 ग्राम पीपलखेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री अमित अघापुरिया वकील अपीलान्ट।
2. श्री पंकज कुमार वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 5.7.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम अतिरिक्त कलक्टर डीग के निर्णय दिनांक 24.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि खातेदार मृतका मु0 सकुनत के ना–औलाद फौत होने पर उसके पति तालीम के हक में तहसीलदार पहाडी द्वारा अपीलाधीन दाखिल खारिज संख्या 2808 दिनांक 15.6.2012 को स्वीकृत किया गया जिसकी अपील रैस्पो0 संख्या–1 के द्वारा तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के समक्ष पेश की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2013 पारित करते हुये अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार पहाडी को मृतक सकुनत के विधिवत वारिसानों की जांचोपरान्त नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु रिमाण्ड किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है।

यह कि तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश मात्र इस आधार पर पारित किया है कि मृतका मुस0 सकूनत के वारिसान का सजरा दाखिल खारिज में कहीं नहीं दर्शाया है और न ही वारिसान की जांच की गई है जबकि पत्रावली पर यह तथ्य स्पष्ट है कि मृतका सकूनत निसंतान फौत हुई है। जिसका एक मात्र वारिस उसका पति अपीलार्थी जीवित है । इस तथ्य को स्वयं रैस्पो0 भी स्वीकार करते है। इस प्रकार जब मृतका का पति जो एक मात्र वारिस है और जीवित है तो मुताबिक कानून मृतका का पति अपीलार्थी तामील ही एक मात्र विधिक वारिस है। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर न करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कतई न्यायोचित नहीं है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश में तहत अदालत ने संदेह भी प्रकट किया है कि दाखिल खारिज को ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया जाना नहीं पाया जाता । यहा तहत अदालत ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पर गौर नहीं किया कि जिसमें उच्च न्यायालय ने नामान्तरकरण की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है बल्कि नामान्तरकरण निर्णित करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को ही है इसलिऐ दाखिला खारिज को ग्राम पंचायत में पेश भी नहीं किया गया हो तो भी क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर कोई फर्क नहीं पडता है। इसलिऐ अपीलाधीन आदेश में ये संदेह प्रकट करना सही नहीं है। तहत अदालत ने कोई भी परीक्षण न करते हुये कोई विवेचना न करते हुये मनमर्जी से तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। इसके अलावा तहत अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि तहत अदालत के समक्ष रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील मेन्टेबिल ही नहीं ही नहीं थी क्यों कि रैस्पोडेन्ट इस प्रकरण में कोई अपना हक हकूक ही नहीं रखता न ही इस दाखिल खारिज से किसी भी सूरत में प्रभावित है न ही दाखिल खारिज की कार्यवाही में पक्षकार है बल्कि रैस्पोडेन्ट तो इस प्रकरण में केवल एक अजनबी व्यक्ति की हैसियत रखता है जिसे अपील पेश करने का कोई लोकसस्टैण्डाई नहीं है न ही उनके द्वारा अपील प्रस्तुततीकरण इजाजत अंतर्गत धारा 96 सी पी सी पेश किया गया है। उपर्युक्त तमाम बिन्दु और वास्तविक तथ्यों पर गौर न करते हुये एक अजनबी व्यक्ति की अपील पर सुनवाई करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपील को रिमाण्ड किया गया है जो कतई उचित नहीं है जबकि ये तथ्य प्रकरण में बार–बार साबित हो चुका है कि मृतका सकूनत बिना आस–औलाद के फौत हो चुकी है और वर्तमान में उसका एक मात्र वारिस उसका पति तामील जीवित है जो कानूनन उसका वारिस है फिर भी तहत अदालत ने मनमजी से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय संगत न होने के कारण निरस्त योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरेअपील दिनांक 24.12.2013 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर डीग निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 2808 दिनांक 15.6.2012 बदस्तूर रखा जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2013 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि इस प्रकरण में मुस्लिम लॉ को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा ऐसे प्रकरण

सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किये जाने चाहिऐ थे जो नहीं किये गये ऐसा कोई भी तथ्य पत्रावली पर अथवा नामान्तरकरण पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार ग्राम पंचायत के समक्ष अमल में लायी गई हो। अपीलाधीन दाखिल खारिज में अंकित आराजी रैस्पोडेन्ट की पारिवारिक/पैतृक आराजी है। यह कि आराजी मुतदाविया ख0नं0 130,137,349,759,1664,1714 किता–6 रकबा 2.77 है0 ग्राम पीपलखेडा तहसील पहाडी की मु0 मौजवी कब्जे काश्तकार खातेदार थी जो रैस्पोडेन्ट की मां थी । माता मौजवी ने अपने जीवनकाल में ही अपने दोनो पुत्रों में व हिस्सा बराबर निस्फ–निस्फ हिस्सा रैस्पोडेन्ट–1 आसमौहम्मद व सजमल के नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये डिक्री आदेश से दर्ज करवा दिया। छोटे भाई सजमल की मृत्यु के बाद सजमल की पुत्र सकूनत जो नाबालिग थी ''सकूनत नाबालिग सरपरस्त दादा वन्नी'' आराजी के निस्फ हिस्से पर दर्ज हो गई। सकूनत का दादा वन्नी जो रैस्पोडेन्ट–1 का पिता है। इस तरह सकूनत के फौत होने पर उसके पति तामील ने तहसील स्तर पर साज कर सकूनत की आराजी को केवल अकेले अपने नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये दर्ज करवा लिया जबकि प्रकरण में यह स्पष्ट हो चुका है कि यह आराजी पैतृक है और मुस्लिम विधि अनुसार ही वारिसानों के मध्य विभाजन योग्य है। परीक्षण न्यायालय तहसीलदार पहाडी ने मुस्लिम विधि, पैतृक आराजी, ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार, मौके एवं कब्जे की जांच, मातहत अधिकारी/कर्मचारियों की रिपोर्टों/टिप्पणी का परीक्षण, मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का सजरा इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कतई ध्यान नहीं दिया गया है जो इस तरह के विरासतन दाखिल खारिज खोले जाने के दौरान न्यायसंगत रहते है इन्हीं कानूनी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग ने अपने अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट करते हुये यह माना है कि परीक्षण न्यायालय ने दौराने पारित नामान्तरकरण संख्या 2808 न तो मुस्लिम विधि को ध्यान में रखा न ही पैतृक आराजी को न ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार को और नहीं प्रकरण में मौके पर कब्जे की जांच की गई इसके अलावा दौराने स्वीकृति अपीलाधीन नामान्तरकरण मृतक खातेदार का विधिक वारिसान का सजरा तक अंकित नहीं किया गया है केवल पटवारी और गिरदावर की रिपोर्ट मात्र पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो काबिले मंसूखी है। उपर्युक्त तमाम कानूनी तथ्यों के अभाव को देखते हुये यह प्रकरण तहसीलदार पहाडी को सकुनत के वारिसान की जांच कर विधि अनुकूल जायज वारिसानों के नाम पुनः नामानतरकरण स्वीकृति हेतु रिमाण्ड किया गया है जो वास्तव में न्यायिक है। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है । अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2013 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में इस तथ्य से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपीलाधीन नामान्तरकरण 2808 में अंकित आराजी पैतृक आराजी है तथा सभी पक्षकार मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते है। यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट तामील की मृतक पत्नि सकूनत रैस्पोडेन्ट

संख्या–1 के छोटे भाई की पुत्री अर्थात भतीजी है तथा रैस्पोडेन्ट संख्या–2 की नातिनी है। रिकार्ड अवलोकन से यह भी बखूबी स्पष्ट हो रहा है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा दौराने स्वीकृति अपीलाधीन नामान्तरकरण मुस्लिम विधि, पैतृक आराजी, ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार, मौके एवं कब्जे की जांच, मातहत अधिकारी/कर्मचारियों की रिपोर्टों/टिप्पणी का परीक्षण, मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का सजरा इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कतई ध्यान नहीं दिया गया है जो इस तरह के विरासतन दाखिल खारिज खोले जाने के दौरान न्यायसंगत रहते है इन्हीं कानूनी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को परीक्षण न्यायालय तहसीलदार पहाडी द्वारा अनदेखा किये जाने की स्थिति में तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर डीग द्वारा प्रकरण को पुनः नियमानुसार जांच हेतु रिमाण्ड किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यह अपील खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटी न पाये जाने के कारण यह अपील खारिज की जाती है तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official